RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No.MCS/170/2016-18.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ३८] शुक्रवार, नोव्हेंबर १७, २०१७/कार्तिक २६, शके १९३९ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ६२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

राजस्व और वन विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ३ नवम्बर २०१७।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXVI OF 2017.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २६ सन् २०१७।

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

सन् १९५८ का ६०।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश, प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१७ कहलाए।

(२) यह १५ दिसम्बर २०१६ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९५८ का ६० की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के, खण्ड छ के उप-खण्ड (चार) के स्थान में, निम्न उप-खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९५८ का ६०।

" (चार) कंपनियों (मूल कंपनी की सहायक कंपनियों समेत) के समामेलन, विलयन, अविलयन, व्यवस्था या पुनर्गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, १९५६ की धारा ३९४ के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा सन् १९५६ का १। किये गये प्रत्येक आदेश या कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २३० से २३४ के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि सन् २०१३ का १८। अधिकरण द्वारा किये गये प्रत्येक आदेश या कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २३३ की उप-धारा (३) के सन् २०१३ का १८। अधीन केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये प्रत्येक पुष्टीकरण ; और बैंकिंग कंपनियों के समामेलन या पुनर्गठन के संबंध में बैंकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ की धारा ४४क के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रत्येक सन् १९४९ का १०। आदेश। "।

सन् १९५८ का बम्बई ६० की अनुसूची १ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की संलग्न अनुसूची एक के, अनुच्छेद २५ के, खण्ड (घक) के, स्तंभ १ में, " (घक) यदि उच्च न्यायालय के आदेश से संबंधित है " कोष्टकों, अक्षरों और शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले और " बैंकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ " शब्दों और अंकों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में, निम्न प्रभाग, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (घक) कंपनियों (मूल कंपनी की सहायक कंपनियों समेत) के समामेलन, विलयन, अविलयन, व्यवस्था या पुनर्गठन के संबंध में यदि कंपनी अधिनियम, १९५६ की धारा ३९४ के अधीन उच्च न्यायालय के सन् १९५६ का १। आदेश या कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २३० से २३४ के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेश सन् २०१३ का १८। या कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २३३ की उप-धारा (३) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा जारी पुष्टीकरण या बैंकिंग कंपनियों के समामेलन या पुनर्गठन के संबंध में बैंकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ की धारा ४४क के सन् २०१३ का १८। अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रत्येक आदेश से संबंधित है । "। सन् १९४९ का १०।

विधिमान्यकरण।

४. (१) किसी न्यायालय के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की अनुसूची एक में अनुच्छेद २५ के उपबंधों के अधीन निर्धारित, उद्ग्रहीत और संग्रहीत स्टाम्प शुल्क ऐसे निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण के अनुसरण में उक्त अधिनियम के अधीन प्राधिकारी द्वारा कृत या करने के लिए तात्पर्यित किसी कार्यवाही समेत विधि के अनुसरण में विधिमान्य उद्ग्रहीत और संग्रहीत समझी जायेगी, मानों कि महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१७ (जिसे इसमें आगे, इस धारा में "संशोधन सन् २०१७ अध्यादेश" कहा गया है) द्वारा यथा संशोधित उक्त अनुच्छेद २५ के उपबंध सभी आवश्यक समय में निरंतर प्रवृत्त थे का महा. और तद्नुसार,— अध्या. क्र. २६।

(क) स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण या संग्रहण के संबंध में, मूल अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या किये गये समस्त कार्य, कार्यवाहियाँ या बातें, समस्त प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कृत और की गई समझी जायेगी ;

(ख) इस प्रकार उद्ग्रहीत और संग्रहीत किसी स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय के लिए उक्त प्राधिकारी के विरुद्ध किसी न्यायालय में, कोई वाद या अन्य कार्यवाहियाँ बनाई रखी या जारी रखी नहीं जायेगी ;

(ग) कोई भी न्यायालय या कोई अन्य प्राधिकारी, इस प्रकार उद्ग्रहीत और संग्रहीत स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय का निदेश देनेवाली कोई डिक्री या आदेश लागू नहीं करेगा।

(२) संदेहों के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उप-धारा (१) की कोई भी बात किसी व्यक्ति को,—

(क) संशोधन अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उप-धारा (१) में निर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क के किसी निर्धारण, पुनर्निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहण को प्रश्नगत करने से, या

(ख) संशोधन अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन स्टाम्प शुल्क के रूप में उससे देय रकम से अधिक उसके द्वारा अदा किये गये किसी स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय का दावा करने से रोकती हुई नहीं समझी जायेगी।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, (सन् १९५८ का ६०) से संलग्नित अनुसूची-एक के अनुच्छेद २५ के खण्ड (घक) के उपबंधों के अनुसार, संपत्ति, जो हस्तांतरण की विषय-वस्तु हैं के सही बाजार-मूल्य पर, हस्तांतरण पर (अनुच्छेद ५९ के अधीन अंतरण प्रभार या छूट प्राप्त न होते हुये), यदि, कंपनी अधिनियम, १९५६ की धारा ३९४ के अधीन कंपनियों के समामेलन या पुनर्गठन के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश से संबंधित या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, १९४९ की धारा ४४क के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के आदेश के अधीन हैं, तब उसके स्तंभ २ में उसके सामने विनिर्दिष्ट दर पर, स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाता है। कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना, दिनांकित ७ दिसंबर, २०१६ के अनुसार कंपनी अधिनियम, २०१३ (सन् २०१३ का १८) (जिसे इसमें आगे, " उक्त कंपनी अधिनियम," कहा गया हैं) की धारा २३० (उप-धाराएँ (११) और (१२) को छोडकर) और धाराएँ २३१ से २३४, जो १५ दिसंबर, २०१६ से प्रवृत्त हुई हैं और कंपनियों (मूल कंपनी के सहायक के समेत) के समामेलन, विलयन, वियोजन, व्यवस्था या पुनर्गठन के संबंध में ऐसे आदेश, अब उक्त कंपनी अधिनियम की धाराएँ २३० से २३४ के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा पारित हुये हैं और उक्त कंपनी अधिनियम की धारा २३३ की उप-धारा (३) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टीकरण आदेश जारी किये गये हैं। इसलिए, उक्त कंपनी अधिनियम के अधीन बनाये गये इन आदेशों और पुष्टीकरणों को महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के कार्यक्षेत्र के भीतर तत्काल लाना इष्टकर हैं, ताकि, राज्य के राजस्व की वृद्धि के लिये, उस पर स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहीत किया जा सके। तद्नुसार, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची एक की धारा २ (छ) और अनुच्छेद २५ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित किया हैं।

२. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका हैं कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (सन् १९५८ का ६०) में अधिकतर संशोधन करना आवश्यक हैं, अत: यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता हैं।

मुंबई,
दिनांकित २ नवंबर २०१७।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

मनुकुमार श्रीवास्तव,
सरकार के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.